

कार्यालय

निदेशक

सैकेण्डरी

शिक्षा

हरियाणा

चंडीगढ़

आदेश नम्रांक: 23/127-99 वि०-TI2।

दिनांक, चंडीगढ़ : 29-3-2000

डी०ए०वी०षब्दिक स्कूल, साटोरा (यमुनानगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से दसवीं स्तर की संबंधित जैसे हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस गति पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एवं 1995 के तहत जो लक्ष्य बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर वह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

प्रशान्त महापात्र  
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चंडीगढ़।

पूछाकर्न नम्रांक-तम-

दिनांक, चंडीगढ़ : 25.4.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यपादी हेतु जित है:-

1. जिता शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके बादी नम्रांक नी-2/99/9859 दिनांक 2-7-99 के तंदरी में।
2. मुख्याध्यायक, डी०ए०वी०षब्दिक स्कूल, साटोरा (यमुनानगर)।
3. तथा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी मैटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-१००९२

अधीक्षक विद्यालय-२१५२  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चंडीगढ़।

R/C